

2019/00080
FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

अज अदालत

बडीसादडी कि. चित्तौड़गढ़

भांजीवाल

बनाम

डेवी सिंह

किस्म मुकद्दमा

128 PLAct

नं.

71/2019

सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.6-19	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>दलपुरा</u>..... ग्राम.....<u>दलपुरा</u>.....की आ.न.163,164,166,170,171,172,173,207, ^{अपुन किला 8} ^{की रकब 4.62 हे} ^{35,143,144} विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीयों ^{की रकब 0.16 हे} की मौजुदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये <u>3300</u> ^{4.78 हे} वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	